पर्यटक वीसा

१३५७. **श्री बजराज सिंह** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटक दृष्टांक (वीसा) जारी करने के लिये और अधिक देर तक भारत में ठहरने के लिये कोई निश्चित नियम हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनकी एक प्रति टेबल पर रखी जायगी;

(ग) किन-किन देशों के कितने लोगों ने भारत में अधिक देर ठहरने के लिये पर्यटक वीसा के लिये प्रार्थना-पत्र दिये जो १९५७–५८ और १९५८–५९ में अस्वीकार कर दिये दिये गये ;

(घ) इन वर्षों में वीसा के लिये जिनके प्रार्थना-पत्र मंजूर किये गये उनकी संख्या की तुलना में अस्वीकृत किये गये प्रार्थना-पत्रों की संख्या क्या है; और

(ङ) प्रार्थना-पत्रों को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) और (ख). वीजा जारी करने के कोई वैधानिक नियम (स्टेचुटरी रूल्स) नहीं हैं । गृह मन्त्रालय से सलाह मशविरा करके हमारे विदेश-स्थित मिशनों और केन्द्रों को समय-समय पर हिदायतें भेजी जाती हैं, वह मन्त्रालय वीजा और भारत में विदेशियों से सम्बद्ध कार्य को करता है । अमल में लाई जाने वाली इन हिदायतों को एक वीजा नियमावली (मेनुअल) में संकलित कर दिया गया है जिसमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है । नियमावली और अमल में लाई जाने वाली हिदायतें गोपनीय हैं और वे केवल वीजा जारी करने वाले अधिकारियों का मार्ग दर्शन करने के लिये हैं । खेद है कि इन गोपनीय प्रलेखों को सदन की मेज पर नहीं रखा जा सकता । बहरहाल, अगर सरकार के सामने ऐसा कोई मसला रखा जाए जिसका सम्बन्ध भारत के लिए वीजा देने से हो तो वह उसके किसी भी पहलू पर ध्यानपूर्वक विचार करने के लि तैयार है ।

(ग) और (घ). यह सूचना अभी सुलभ नहीं है । चूंकि इस सूचना को इकट्ठा करने में काफी वक्त और मेहनत लगेगी, इसलिये इसे करने का इरादा नहीं है ।

(ङ) वीजा के लिए दी गई किसी अर्जी को नामंजूर करने के कारण गोपनीय रहते हैं, इसलिये उन्हें प्रार्थी या किसी और को बताने की प्रथा नही है ।

---

12 hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

LETTER FROM PRIME MINISTER OF CHINA

The Prime Minister and Minister of External Affairs (Shri Jawaharlal Nehru): I beg to lay on the Table a copy of the letter dated the 19th March, 1960 from the Prime Minister of China to the Prime Minister of India. [*Placed in Library. See* No. LT-2011/60].

ANNUAL REPORT OF HINDUSTAN SHIPYARD LIMITED

The Minister of State in the Ministry of Transport and Communications (Shri Raj Bahadur): I beg to lay on the Table, under sub-section (1) of Section 639 of the Companies Act, 1956, a copy of the Annual Report of the Hindustan Shipyard Limited for the year 1958-59 along with the Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon. [*Placed in Library. See* No. LT-2012/60].

ANNUAL REPORT OF NATIONAL SMALL INDUSTRIES CORPORATION LIMITED

The Minister of Industry (Shri Manubhai Shah): I beg to lay on the Table a copy of each of the following papers:

(i) Annual Report of the National Small Industries Corporation Limited for the year 1958-59 along with the Audited Account and comments of the